न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—577 / 2026
शेखपुरा थाना कांड सं0—127 / 26
बिहार राज्य बनाम् सन्नी कुमार एवं अन्य।

गौतम कुमार, पिता—अरूण राम, उम्र लगभग 32 वर्ष,
साकिन—बुधौली, थाना—शेखपुरा जिला—शेखपुरा ....आवेदक।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री सूर्यमणि कुमार अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

26.05.2026 काराधीन अभियुक्त गौतम कुमार की ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.05.2026 को नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जो कि दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। शेखपुरा थाना कांड सं0—127 / 26 के अंतर्गत धारा 30(a), (c) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लंबित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध इस केस के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a), (c) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठी और मनगढ़ंत है, इस मामले में कुछ भी सच्चाई नहीं है। इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला है और जप्ती सूची के सभी गवाह पुलिस पार्टी के सदस्य है। आवेदक को जप्त की गयी शराब से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में बी0एन0एस0 की धारा 103 का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक माननीय न्यायालय की संतुष्टि के लिए उचित जमानत राशि प्रदान करने के लिए तैयार है। आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 21.05.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–577/2026
शेखपुरा थाना कांड सं0–127/26
बिहार राज्य बनाम् सन्नी कुमार एवं अन्य।

लगातार

26.05.2026 विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का पूरजोर विरोध किया गया एवं इनका कथन है कि घटनास्थल से भारी मात्रा में कुल 40.000 लीटर देशी शराब एवं शराब बनाने का उपकरण जप्त किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामाल संक्षेप में यह है कि स0अ0नि0 महेश कुमार पासवान दिनांक 20.05.2026 को समय करीब 22:05 बजे रात्रि में सशस्त्र बल के साथ एवं चौकीदार 8/4 गौतम राम के साथ सरकारी पुलिस वाहन से पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय ज्ञापांक 3789/गो0 दिनांक 18.05.2026 के आलोक में विशेष समकालीन अभियान के तहत रेड/शराब छापामारी/रात्रि गश्ती हेतु थाना से प्रस्थान किया। छापामारी के क्रम में समय करीब 23:15 बजे गुप्त सूचना मिली कि ग्राम बुधाली और चढ़ियारी के बीच चढ़ियारी खंदा में पोखर के किनारे में ग्राम बौधाली का 1. गौतम कुमार उम्र करीब 27 वर्ष पे0 अरूण राम 2. चंदन कुमार उम्र करीब 25 वर्ष पे0 मनोज राम दोनों साकिन बुधौली थाना व जिला शेखपुरा तथा चंदन कुमार का रिश्तेदार फुफेरा भाई 3. सन्नी कुमार तीनों मिलकर देशी महुआ शराब बना रहा है तुरंत जाने पर शराब बनाते हुए तीनों लोग पकड़ा सकता है। तत्पश्चात प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में साथ के छापामारी दल के साथ ग्राम बुधौली और चढ़ियारी के बीच चढ़ियारी के बीच चढ़ियारी खंदा पोखर के पास समय करीब 23:35 पहुंचा एवं घेराबंदी किया इसी क्रम में पुलिस बल को देखकर तीन लोग भागने लगा जिसे साथ के बल के सहयोग से वहीं पर पकड़ा। पकड़ाये तीनों से बारी–बारी से नाम पता पूछा तो उसने अपना–अपना नाम क्रमशः का 1. गौतम कुमार उम्र करीब 27 वर्ष पे0 अरूण राम, 2. चंदन कुमार करीब 25 पे0 मनोज राम दोनों साकिन बुधौली थाना व जिला शेखपुरा तथा 3. सन्नी कुमार उम्र करीब 19 वर्ष पे0 रंजीत राम साकिन घोसवरी थाना घोसवरी जिला पटना बताया। तत्पश्चात् उक्त घटनास्थल एवं पकड़ाये तीनों व्यक्ति की तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाहों का खोजबीन किया परंतु रात्रि होने के कारण कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं मिले, तो ऐसी परिस्थिति में साथ के बल को साक्षी मानते हुए अपना तथा साथ के बल जमा तलाशी देते लेते हुए पकड़ाये तीनों व्यक्ति एवं उक्त घ टनास्थल का बारी–बारी से तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में पकड़ाये तीनों व्यक्ति के शरीर पर पनहे कपड़े के अलावा कुछ नहीं पाया। तलाशी के क्रम में पकड़ाऐ तीनों व्यक्ति के निकट घटनास्थल पर शराब बनाने का उपकरण यथा–एक बड़ा गैस सिलेंडर से जुड़ा तीन

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—577/2026
शेखपुरा थाना कांड सं0—127/26
बिहार राज्य बनाम् सन्नी कुमार एवं अन्य।

लगातार

26.05.2026 भट्ठी चुल्हा लगा पाया। तीनों भट्ठी चुल्हा पर दो—दो एल्युमिनियम का तसला के बीच में मिट्टी का हांडी चढ़ा पाया एवं एक ब्लू रंग के बड़ा गैलन में करीब 40 लीटर देशी महुआ चुलाई शराब पाया। बरामद देशी महुआ चुलाई शराब एवं शराब बनाने के उपकरण के बारे में पूछने पर तीनों ने बताया कि पिछले करीब तीन—चार दिनों से ये तीनों लोग मिलकर यहां पर शराब रात्रि में यहां पर शराब बना रहे है। रोज करीब साठ—सत्तर लीटर शराब बनाकर कटोर यादव उम्र करीब 35 वर्ष पिता का नाम नामालूम ग्राम चकदीवान थाना व जिला शेखपुरा (मोबाइल नं0—9263402662) को देते हैं। यह गैस सिलेंडर भट्ठी चुल्हा तथा तसला सारा सामान चकदीवान के कटोर यादव का है। वही यह सारा सामान हमें शराब बनाने के लिये दिया है। हम तीनों लोग कटोर यादव सा0 चकदीवान के लिए शराब बनाते है और शराब बनाने के बदले कटोर यादव हम तीनों को रात में ही तीन—तीन हजार रूपया देकर रात में ही शराब ले जाता है। पूछताछ के क्रम में चंदन कुमार बताया कि वह करीब दो साल पहले उत्पाद थाना शेखपुरा से शराब पीने के मामले में पकड़ाये थे ओर फाइन जमा करने पर कोर्ट से छुटे थे। तत्पश्चात् बरामद एक ब्लू रंग के बड़ा गैलन में करीब 40 लीटर देशी महुआ शराब एवं शराब बनाने का उपकरण यथा— एक बड़ा सिलेंडर, तीन भट्ठी चुल्ळा तथा कुल छह एल्युमिनियम तसला को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त एवं सीलबंद किया। मिट्टी का हाड़ी फुट गया। जप्ती सूची पर गवाहों ने अपना—अपना हस्ताक्षर बनायें। जप्ती सूची की एक—एक प्रति पकड़ाये तीनों व्यक्ति को दिया एवं गिरफ्तारी मेमों बनाकर गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a), (c) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध इस केस के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर शराब बनाने का सीधा आरोप है तथा घटनास्थल से 40.000 लीटर भारी मात्रा में देशी चुलाई शराब एवं शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ था, जैसे एक बड़ा गैस सिलेंडर, बड़ा तसला, प्लास्टिक का पाईप लगा मिट्टी का टोपिया आदि, जिससे प्रतीत होता है कि यह एक संगठित अपराध है। इससे विदित होता है कि अभियुक्त आदतन आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—577 / 2026
शेखपुरा थाना कांड सं0—127 / 26
बिहार राज्य बनाम् सन्नी कुमार एवं अन्य।

लगातार

26.05.2026 अतः उक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायहित में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रक्रम पर आवेदक को जमानत देना युक्ति—युक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है। फिर भी आवेदक को स्वतंत्रता है कि अपने जमानत आवेदन को पुनः आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात संचालित कर सकते हैं।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 26.05.2026

Date Of Judgment/Order	26.05.2026
Date of Reserving judgement/Order	26.05.2026
Uploading Date	27.05.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.